भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 1646
(जिसका उत्तर सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया गया)

उस्मानाबाद रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग और यवतमाल-वाशिम संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत स्वीकृत निधि

1646. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकरः
श्री नारायण तातू राणेः
श्री संजय उत्तमराव देखमुखः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के माध्यम से पर्यावरण, कौशल विकास, जल और स्वच्छता जैसे सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत संगठनों की राज्यवार संख्या कितनी है;
(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में विशेषकर महाराष्ट्र के उस्मानाबाद, रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग और यवतमाल-वाशिम संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में उक्त संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों द्वारा स्वीकृत/आवंटित निधि का ब्यौरा क्या है;
(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान इन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा महाराष्ट्र में उपयोग की गई निधि का जिलावार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और इन गैर-सरकारी संगठनों को सीएसआर के अंतर्गत कितनी धनराशि जारी की गई है;
(घ) सीएसआर के अंतर्गत विशेषकर महाराष्ट्र के उस्मानावाद, रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग और यवतमाल-वाशिम संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के आकांक्षी जिलों में कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठनों और उनके द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) इसमें सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): मंत्रालय द्वारा सीएसआर व्यय का संगठनवार ब्यौरे का रखरखाव नहीं किया जाता है। तथापि, एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई फाइलिंग के आधार पर, पिछले पांच वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष) अर्थात 2018-19 से 2022-23 के लिए पर्यावरण, कौशल विकास, जल और स्वच्छता जैसे सामाजिक क्षेत्रों सहित सीएसआर व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार और वर्षवार तथा कंपनियों की संख्या सहित विकास क्षेत्रवार ब्यौरा, क्रमशः अनुलग्नक-I, अनुलग्नक-II और अनुलग्नक-III में दिया गया है।

जारी.../-

(ख): सीएसआर कानूनी ढांचे के तहत सीएसआर निधि की मंजूरी/आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई फाइलिंग के आधार पर, पिछले पांच वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष) अर्थात् 2018-19 से 2022-23 के लिए महाराष्ट्र में सीएसआर व्यय का जिलावार ब्यौरा अनुलग्नक-III में है।

(ग) और (घ): कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 4(1) के साथ तथापि अधिनियम की धारा 135 के तहत निर्धारित किया गया है कि कंपनी के बोर्ड को अपनी सीएसआर कार्यकलापों को या तो स्वयं द्वारा या निम्नलिखित के माध्यम से करने का अधिकार है-

i. अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित कंपनी, या कोई पंजीकृत सार्वजनिक न्यास या पंजीकृत संस्था, जिसे धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (iv), (v), (vi) या (viक) के तहत छूट दी गई है या धारा 12क के तहत पंजीकृत और आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की 80जी के तहत अनुमोदित है, जिसे कंपनी द्वारा अकेले या किसी अन्य कंपनी के साथ मिलकर स्थापित किया गया है; या
ii. अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित कंपनी या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित पंजीकृत न्यास या पंजीकृत संस्था; या
iii. संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम के तहत स्थापित कोई इकाई; या
iv. अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित एक कंपनी, या एक पंजीकृत सार्वजनिक न्यास या एक पंजीकृत सोसायटी, जिसे धारा 10 के खंड (23 सी) के उप-खंड (iv), (v), (vi) या (viक) के तहत छूट दी गई है या धारा 12क के तहत पंजीकृत है और आयकर अधिनियम, 1961 के 80जी के तहत अनुमोदित है, और इसी तरह की कार्यकलापों को करने में कम से कम तीन वर्ष का स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 को 22 जनवरी, 2021 को संशोधित किया गया था और केंद्रीय सरकार के साथ उपरोक्त कार्यान्वयन एजेंसियों का पंजीकरण 1 अप्रैल, 2021 से अनिवार्य कर दिया गया है। आज की तारीख तक कुल 87578 कार्यान्वयन एजेंसियों ने एमसीए21 रजिस्ट्री के साथ पंजीकरण किया है। कार्यान्वयन एजेंसियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार डाटा मंत्रालय द्वारा नहीं रखा जाता है।

मंत्रालय संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-वार और कार्यान्वयन एजेंसी-वार सीएसआर व्यय का डाटा नहीं रखता है। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र में वर्षवार और जिलावार सीएसआर व्यय अनुलग्नक IV में शामिल है।

एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई फाइलिंग के आधार पर, पिछले पांच वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष) अर्थात 2018-19 से 2022-23 के लिए महाराष्ट्र में सीएसआर व्यय का आकांक्षी जिलावार विवरण अनुलग्नक-V में दिया गया है।

(ङ): मौजूदा सीएसआर कानूनी ढांचे के अनुसार, सीएसआर प्रावधान देश के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों या सेक्टरों में लागू होते हैं। इसी तरह, अधिनियम की अनुसूची VII पात्र सीएसआर कार्यकलापों को सूचीबद्ध करती है। अनुसूची VII के अनुसार, भूख, गरीबी और कुपोषण को खत्म करना, स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था, आजीविका संवर्धन परियोजनाएं, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय, ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण आदि जैसे कार्यकलापों को पात्र सीएसआर कार्यकलापों के रूप में माना जाता है। सीएसआर अधिदेशित कंपनियों का बोर्ड कंपनी (सीएसआर नीति) नियम 2014 की पूर्ति के अध्यधीन अधिनियम की अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट कोई भी कार्यकलाप प्रारंभ कर सकता है।

***

अनुलग्नक- I

दिनांक 10.03.2025 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1646 के भाग (क) में संदर्भित

2018-19 से 2022-23 तक सेक्टर-वार सीएसआर व्यय

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	विकास क्षेत्र	वित्त वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23
1	कृषि वानिकी	64.75	67.38	20.90	34.27	65.07
2	पशु कल्याण	98.33	106.12	193.55	168.79	315.98
3	सशस्त्र बल, वयोवृद्ध, वीरांगनाएं/आश्रित	90.18	62.06	84.05	47.22	62.27
4	कला और संस्कृति	225.94	933.57	493.13	248.34	441.02
5	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	173.55	160.60	92.00	273.82	580.37
6	शिक्षा	6111.66	7179.51	6693.25	6569.82	10085.78
7	पर्यावरणीय स्थिरता	1368.27	1470.53	1030.16	2433.24	1960.13
8	लैंगिक समानता	51.86	82.93	43.83	104.67	119.83
9	स्वास्थ्य देखभाल	3617.15	4905.72	7325.83	7816.29	6830.60
10	आजीविका संवर्धन परियोजनाएं	907.98	1077.72	938.91	854.78	1654.39
11	केंद्र सरकार की अन्य निधियां	1156.86	1790.69	3491.30	1620.09	1091.86
12	गरीबी, भूखमरी उन्मूलन, कुपोषण	1195.78	1159.71	1407.58	1896.95	1232.62
13	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	2434.17	2301.02	1850.71	1833.76	2005.37
14	सुरक्षित पेयजल	228.23	253.40	203.13	182.68	246.36
15	स्वच्छता	506.66	521.72	338.97	313.26	429.91
16	वरिष्ठ नागरिक कल्याण	46.52	52.33	56.47	79.58	132.87
17	महिलाओं के लिए घरों और छात्रावासों की स्थापना	57.01	48.50	44.52	100.92	48.53
18	अनाथालय की स्थापना	12.89	36.50	21.88	27.52	41.24
19	स्लम क्षेत्र विकास	51.06	42.94	88.95	58.38	93.84
20	सामाजिक-आर्थिक असमानताएं	167.92	214.88	149.81	164.90	154.01
21	विशेष शिक्षा	186.13	196.88	209.24	190.52	305.67
22	प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटर	32.10	53.50	62.62	8.57	1.38
23	खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	310.16	304.00	243.39	291.85	526.14
24	व्यावसायिक कौशल	798.36	1181.23	717.65	1034.18	1164.19
25	महिला सशक्तिकरण	236.54	259.57	206.00	261.34	396.99
26	एनईसी/उल्लेख नहीं किया गया*	87.61	502.79	203.14	0.59	1.50
	कुल	**20217.65**	**24965.82**	**26210.95**	**26616.30**	**29987.92**

(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

* कंपनियों ने या तो क्षेत्र के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक क्षेत्रों का उल्लेख किया जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।

*****

अनुलग्नक- II

दिनांक 10.03.2025 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1646 के भाग (क) में संदर्भित

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय 2018-19 से 2022-23 तक (करोड़ रुपये में)						
क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	वित्त वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23
1	अंडमान और निकोबार	0.82	1.29	2.86	9.71	2.53
2	आंध्र प्रदेश	665.97	710.23	719.81	656.79	954.63
3	अरुणाचल प्रदेश	24.56	18.02	10.58	119.42	13.35
4	असम	210.00	285.00	180.23	406.17	470.24
5	बिहार	137.95	110.48	89.89	165.97	235.36
6	चंडीगढ़	11.46	15.58	13.40	50.88	18.06
7	छत्तीसगढ़	149.35	269.68	325.63	305.29	596.11
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	19.73	27.87	27.23	18.24	23.11
9	दिल्ली	750.85	830.00	724.59	1193.93	1462.66
10	गोवा	46.77	43.91	41.92	45.43	58.11
11	गुजरात	1082.18	984.37	1461.60	1603.93	1982.26
12	हरियाणा	378.11	537.91	550.86	683.95	700.16
13	हिमाचल प्रदेश	78.79	78.78	106.31	140.22	138.52
14	जम्मू और कश्मीर	36.44	25.27	35.56	50.68	71.22
15	झारखंड	109.80	155.21	226.54	193.33	388.13
16	कर्नाटक	1257.69	1448.16	1277.81	1839.73	1985.23
17	केरल	354.78	298.56	290.67	239.73	351.60
18	लक्षद्वीप	0.39	-	0.01	0.45	0.02
19	लेह और लद्दाख	-	-	-	14.84	11.72
20	मध्य प्रदेश	243.55	220.46	375.51	427.10	655.86
21	महाराष्ट्र	3147.72	3353.24	3464.81	5380.07	5494.77
22	मणिपुर	7.81	14.21	10.39	15.62	53.45
23	मेघालय	16.54	17.65	17.63	19.63	21.73
24	मिजोरम	0.11	0.25	0.97	6.94	10.99
25	नागालैंड	2.12	5.10	3.57	12.46	13.57
26	ओडिशा	697.91	717.39	578.16	670.32	987.70
27	पुडुचेरी	9.15	11.32	12.43	9.31	12.55
28	पंजाब	166.85	189.44	158.46	184.89	247.47
29	राजस्थान	595.49	734.12	670.00	711.82	1102.16
30	सिक्किम	5.87	10.99	17.28	28.24	36.18
31	तमिलनाडु	877.08	1072.26	1174.07	1432.06	1558.66
32	तेलंगाना	428.06	445.80	627.71	685.87	1006.63
33	त्रिपुरा	23.06	9.40	9.29	15.91	19.26
34	उत्तर प्रदेश	521.32	577.98	907.32	1339.18	1152.43
35	उत्तराखंड	172.31	124.70	160.58	228.08	301.11
36	पश्चिम बंगाल	382.23	423.85	471.48	567.21	759.51
37	अन्य केंद्रीकृत फंड	1156.86	1790.69	3491.30	1620.09	1091.86
38	पैन इंडिया*	6443.53	9385.66	7805.03	5522.74	5988.91
39	एनईसी/उल्लेख नहीं किया गया *	4.44	20.97	169.47	0.09	10.12
	कुल	20217.65	24965.82	26210.95	26616.30	29987.92

(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा मैनेजमेंट सेल)

* कंपनियों ने या तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को इंगित किया जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।

*****

दिनांक 10.03.2025 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1646 के भाग (क) में संदर्भित

2018-19 से 2022-23 तक कंपनियों की संख्या के साथ वर्षवार सीएसआर व्यय			
क्र. सं.	**वित्तीय वर्ष**	**कंपनियों की संख्या**	**करोड़ रुपये में**
1	वित्त वर्ष 2018-19	25181	20217.65
2	वित्त वर्ष 2019-20	22985	24965.82
3	वित्त वर्ष 2020-21	20840	26210.95
4	वित्त वर्ष 2021-22	19887	26616.30
5	वित्त वर्ष 2022-23	24392	29987.92

(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

******

10.03.2025 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1646 के भाग (ग) और (घ) में संदर्भित

2018-19 से 2022-23 तक महाराष्ट्र में जिलेवार सीएसआर व्यय (करोड़ रुपये में)						
क्र.सं.	**जिलावार**	**वित्त वर्ष 2018-19**	**वित्तीय वर्ष 2019-20**	**वित्त वर्ष 2020-21**	**वित्त वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**
1	अहिल्यानगर	11.42	10.64	33.08	31.83	48.73
2	अकोला	0.86	1.50	0.55	2.43	2.06
3	अमरावती	3.36	10.51	2.75	8.85	20.83
4	बीड	3.48	3.13	2.70	11.34	16.21
5	भंडारा	2.65	4.98	4.16	2.25	5.05
6	बुलढाणा	1.26	2.31	1.33	23.71	3.37
7	चंद्रपुर	3.96	3.55	6.24	22.36	34.34
8	छत्रपति संभाजीनगर	18.68	66.69	73.46	95.40	121.56
9	धाराशिव	3.75	2.66	7.37	12.88	25.17
10	धुले	5.49	8.90	7.20	5.03	10.61
11	गढ़चिरौली	1.98	1.38	9.32	18.09	14.55
12	गोंदिया	5.29	5.76	0.44	1.13	0.41
13	हिंगोली	0.09	0.13	0.88	2.63	2.29
14	जलगांव	1.42	0.89	4.34	16.36	27.59
15	जालना	7.38	6.19	8.48	13.83	19.67
16	कोल्हापूर	8.19	10.67	16.21	16.48	16.85
17	लातूर	1.47	2.56	4.04	8.10	16.05
18	मुंबई शहर	70.27	276.83	394.15	2975.73	2763.44
19	मुंबई उपनगरीय	0.59	21.13	7.86	3.05	5.63
20	नागपुर	60.12	54.68	37.91	189.33	168.81
21	नांदेड़	0.35	0.24	2.63	6.71	8.15
22	नंदुरबार	4.06	8.71	23.27	24.92	30.37
23	नाशिक	29.00	38.39	74.51	76.41	122.27
24	पालघर	9.20	23.46	24.86	6.20	5.10
25	परभणी	0.01	0.15	0.39	1.38	3.56
26	पुणे	308.08	324.92	392.59	685.24	1052.92
27	रायगढ़	24.73	37.89	144.17	272.04	319.90
28	रत्नागिरी	20.94	21.58	20.14	15.69	43.88
29	सांगली	1.03	3.41	3.90	11.47	16.05
30	सातारा	24.55	12.79	20.07	40.12	65.31
31	सिंधुदुर्ग	0.10	2.02	2.92	2.34	6.14
32	सोलापुर	5.27	23.06	14.49	12.04	26.61
33	ठाणे	202.05	242.46	75.90	165.97	196.95
34	वर्धा	4.94	3.57	6.70	27.70	23.84
35	वाशिम	-	0.48	1.87	7.02	4.97
36	यवतमाल	0.50	3.05	5.44	7.75	8.22
37	एनईसी (अन्यत्र कवर नहीं)/उल्लेख नहीं किया गया *	2301.21	2111.97	2028.48	556.25	237.28
	कुल	3147.72	3353.24	3464.81	5380.07	5494.77

(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा मैनेजमेंट सेल)

* कंपनियों ने या तो जिलों के नाम विनिर्दिष्ट नहीं किए अथवा एक से अधिक जिलों का उल्लेख किया जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।

*****

अनुलग्नक-V

10.03.2025 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1646 के भाग (सी) और (डी) में देखें

महाराष्ट्र में 2018-19 से 2022-23 तक जिलावार सीएसआर व्यय

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	**जिला**	**वित्त वर्ष 2018-19**	**वित्तीय वर्ष 2019-20**	**वित्त वर्ष 2020-21**	**वित्त वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**
1	उस्मानाबाद (धाराशिव)	3.75	2.66	7.37	12.88	25.17
2	गढ़चिरौली	1.98	1.38	9.32	18.09	14.55
3	नंदुरबार	4.06	8.71	23.27	24.92	30.37
4	वाशिम	-	0.48	1.87	7.02	4.97
	कुल	**9.78**	**13.22**	**41.83**	**62.91**	**75.07**

(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

******